

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल.

क./बोर्ड/यो./गै.तक./72-पार्ट-3/2020-21/395 भोपाल, दिनांक 04.12.2020
प्रतिसंयुक्त संचालक/उपसंचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय -भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर एवं सागर, रीवा. (म.प्र.)

विषय :- मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना(संबल) योजनागत पंजीयन के संबंध में।
संदर्भ:- मुख्यालय का पत्र क्रमांक 752-753 दिनांक 26.03.2018 स्मरण पत्र क्र. 848 दिनांक 10.05.2018, स्मरण पत्र क्र. 902 दिनांक 31.05.2018 एवं स्मरण पत्र क्रमांक-1104 दिनांक 21.08.2018 स्मरण पत्र क्र. 1145 दिनांक 07.09.2018, स्मरण पत्र क्रमांक 1181 दिनांक 29.09.2018 एवं स्मरण पत्र क्रमांक 1243 दिनांक 02.11.2018, स्मरण पत्र क्रमांक 80 दिनांक 26.02.2019, पत्र क्र. 432 दि. 16.07.2019, स्मरण पत्र क्रमांक 594 दिनांक 09.10.2020 एवं स्मरण पत्र क्र. 176 दिनांक 04.07.2020 एवं स्मरण पत्र क्र. 176 दिनांक 04.07.2020

00000

विषयांकित संदर्भित पत्रों द्वारा मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम 2003 अनुसार असंगठित श्रमिकों के पंजीयन हेतु अनुसूची भाग-3 (ख) अनुसार मण्डी समितियों के अनुज्ञापतिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के मुख्यमंत्री जन कल्याण योजनागत(संबल) कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा पंजीयन कराया जाकर जानकारी से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु पूर्ण जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

वर्तमान तक प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदेश की मण्डी समितियों में कार्यरत लगभग 45265 में से 17415 अनुज्ञापतिधारी हम्माल एवं तुलावटियों का मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना(संबल) में पंजीयन हुआ है जिसकी संख्या बहुत कम है। उक्त के संबंध में बार-बार स्मरण कराये जाने के पश्चात भी जानकारी आज दिनांक तक प्राप्त नहीं की गई।

अतः आपके संभागान्तर्गत मण्डी समितियों के हम्माल एवं तुलावटियों का मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना(संबल) के अंतर्गत पंजीयन कराया जाकर एकजाई जानकारी तत्काल निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः मुख्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

| क्र. | मण्डी का नाम | हम्माल/तुलावटियों की कुल संख्या | | मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना(संबल) योजनागत पंजीकृत हम्माल/तुलावटियों की संख्या | | पंजीयन हेतु शेष हम्माल/तुलावटियों की संख्या | | पंजीयन नहीं होने का कारण | रिमार्क |
|------|--------------|---------------------------------|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--------------------------|---------|
| | | हम्मालों की संख्या | तुलावटियों की संख्या | हम्मालों की संख्या | तुलावटियों की संख्या | हम्मालों की संख्या | तुलावटियों की संख्या | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

साथ ही जिन हम्माल एवं तुलावटियों का संबल योजना में पंजीयन हो चुका है उनको मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना(संबल) के अंतर्गत सहायता का लाभ शासन से प्राप्त होगा। उनको मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना का लाभ नहीं दिया जावे, जिससे एक ही हितग्राही द्वारा दो विभागों से योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त न कर सके।

उपसंचालक(योजना)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.